

25-3-20
उक्त पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 25-3-20 को पेश हो।
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-3-20
उक्त पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 27-3-20 को पेश हो।
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-5-20
उक्त पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 8-5-20 को पेश हो।
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20
उक्त पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर
प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये
तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त
हुई जिसे आ-पठ की गई, पूर्व में रीमासन
नहीं कराया गया, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा
आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं
हूँके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थिया का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हुक्म से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फौसल शुमार की जाकर मम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 162/19 प्र.प्र

1- श्रीमती प्रेम ल० श्री मोहन चौकी निवासी-वागौर तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती सोहनो ल० श्री शेकर ल० धरिया निवासी-वागौर तहसील-माण्डल

2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वागौर I पटवार हल्का वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 7703/6030 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, इस न्यायालय में दिनांक 14.11.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वागौर II पटवार हल्का वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7703/6030 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागौर 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा